| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | चैत्र 27, शुक्रवार, *शाके* 1948- अप्रेल 17, 2026<br>Chaitra 27, Friday, Saka 1948- April 17, 2026 | |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।


**वित्त (वित्तीय नियम) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, अप्रेल 17, 2026**

**जी.एस.आर.145 :-**राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)वित्त/जी **&** टी **-** एसपीएफसी/2**0**17 दिनांक 19.03.2026 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

**राज्यपाल के आदेश से,**
महेन्द्र मोहन,
**संयुक्त शासन सचिव।**

**वित्त (वित्तीय नियम) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 19, 2026**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार उपापन की प्रक्रिया राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए चिकित्सा उपस्करों के उपापन के निष्पादन के लिए साध्य नहीं है, इसके द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड को, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 11 के उपबंधों के लागू होने से 31.03.2027 तक छूट देती है कि:-

(क) बोली प्रक्रिया एनएचएम से चिकित्सा उपस्कर के लिए उपदर्शित मात्राओं और प्राक्कलित वित्तीय परिव्यय की प्राप्ति पर आरएमएससीएल द्वारा प्रारंभ की जा सकेगी;

(ख) प्राक्कलित मात्राएं और कुल बोली मूल्य, उनसे निर्बंधित होंगे जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के थे;

(ग) बोली प्रक्रिया सर्वथा केवल बोलियों को आमंत्रित करने और संविदा दर को अंतिम रूप देने तक सीमित होगी। कोई भी वित्तीय दायित्व या संविदात्मक बाध्यता केवल बोली प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने से ही प्रोद्भूत नहीं होगी; और

(घ) कोई भी कार्य आदेश, प्रदाय आदेश, या क्रय प्रतिबद्धता तब तक जारी नहीं की जायेगी जब तक कि बजट उपबंध उपलब्ध नहीं हैं और विधिमान्य प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां अभिप्राप्त नहीं की गयी हैं।

**[प.2(1)वित्त/जी&टी-एसपीएफसी/2017]**
**राज्यपाल के आदेश से,**
महेन्द्र मोहन,
**संयुक्त शासन सचिव।**

---

**Government Central Press, Jaipur.**